न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 92/2016/75 एलआर एक्ट

1. तुलछाराम पुत्र धन्नाराम जाति नायक निवासी चक 4 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर।
2. बृजलाल पुत्र नन्दराम जाति नायक निवासी चक 4 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर।

––अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।
2. नगरपालिका रावतसर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 21.11.2012 जिला कलक्टर हनुमानगढ़ जिसके द्वारा चक 3 आरडब्ल्यूएम की खसरा नं. 193/10 की 2.733 है0 भूमि को नगरपालिका के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, को निरस्त बाबत

उपस्थित :–
श्री मनीराम अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–10.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पूर्वज धनाराम व नन्दराम के कब्जा काश्त की सन् 1955 से पूर्व की चक 3 आरडब्ल्यूएम के प.न. 139/10 कि.न. 3 ता 13 की 2.733 है0 भूमि थी जो लगातार अपीलांट के पूर्वजो के वक्त से लेकर आज तक कब्जा काश्त मे चली आ रही है यह भूमि धनाराम व नन्दराम की सिलिंग सीमा से अधिक मानकर सरप्लस की गई थी जिसको बालिग पुत्रों की हैसियत से अपीलांट ने 1978 मे ही आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नोहर मे प्रस्तुत किया था तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा दिनांक 22.04.7993 को उक्त भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित कर दिया गया था जो आज भी प्रभावी है तथा उक्त पत्रावली मे अभी तक कोई भी निर्णय नही हुआ है लेकिन जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत बिना अपीलांट को नोटिस दिये तथा बिना मौका व रिकार्ड की जांच किये तथा बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के उक्त अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि को नगरपालिका रावतसर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व मौका रिकार्ड की जांच पड़ताल

करनी चाहिए थी तथा तहसीलदार रावतसर से रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी और फिर अपीलांट के कब्जा काश्त बाबत सुनवाई का नोटिस देकर आगे की कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन उन्होने बिना अपीलांट को सूचित किये तथा बिना रिपोर्ट प्राप्त किये उक्त आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्ती योग्य है। उक्त भूमि अपीलांट के पूर्वजो की सरप्लस भूमि है जिसकी आवंटन की पत्रावली जैरकार है तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर का स्थगन आदेश जैरकार है फिर भी जिला कलक्टर हनुमानगढ़ ने नियमो की अवहेलना करके तथा बिना पत्रावली का अवलोकन किये उक्त आदेश पारित किया है जो अपीलांट के हितो के खिलाफ है इसलिये अपास्त योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि पर सन् 1955 से पूर्व से लेकर लगातार आज तक अपीलांट के कब्जा काश्त मे ही चली आ रही है तथा अपीलांट के वहां मकान बने हुए है तथा आज भी यह भूमि काश्त हो रही है। अपीलांट ने आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के यहां बालिग पुत्रों मे भूमि आवंटन करवाने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है चूंकि पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत भूमि बालिग पुत्रों मे आवंटन की पत्रावली मिल नही रही है अपीलांट ने उक्त पत्रावली मे आगे कार्यवाही नया प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि उक्त आदेश दिनांक 21.11.2012 का है जिसका ज्ञान अपीलांट को 10 पहले दिनांक 20.05.2016 पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुआ इससे पहले उक्त आदेश का अपीलांट को ज्ञान नही था इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपीलांट उक्त आदेश मे पक्षकार नही था परन्तु प्रभावित पक्षकार होने के कारण तथा अपीलांट के हित प्रभावित होने के कारण अपीलांट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है इसलिये प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 सपठित धारा 102 मे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 6(9)रेव–6/96/पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 तथा उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.9(12)उप/06 जयपुर दिनांक 19.11.2012 की पालना मे तहसील रावतसर की भूमि जो वर्तमान नगरपालिका रावतसर के मास्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्लान मे स्थित है, को नगरपालिका के नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अपीलांट का तर्क कि वादग्रस्त भूमि पर उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा दिनांक 22.04.1993 का आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन था परन्तु उक्त दिनांक 22.04.1993 से लेकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2012 तक उक्त स्थगन आदेश मे आगामी कार्यवाही होने या नही होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2012 का है उक्त आदेश पारित करते समय उक्त भूमि के संबंध मे विवाद नही था तथा ना ही भूमि के विवादित होने संबंधी रिपोर्ट मे कोई अंकन है इसलिये उक्त भूमि को विवादित नही होना मानते हुए उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 सपठित धारा 102 मे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.6(9)रेव–6/96/पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 तथा उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.9(12)उप/06 जयपुर दिनांक 19.11.2012 की पालना मे तहसील रावतसर की भूमि जो वर्तमान नगरपालिका रावतसर के मास्टर प्लान मे स्थित है, को नगरपालिका के नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया है जिसमे अपीलांट का तर्क है कि ''अपीलांट के पूर्वज धनाराम व नन्दराम के कब्जा काश्त की सन् 1955 से पूर्व की चक 3 आरडब्ल्यूएम के प.न. 139/10 कि.न. 3 ता 13 की 2.733 है0 भूमि थी जो लगातार अपीलांट के पूर्वजो के वक्त से लेकर आज तक कब्जा काश्त मे चली आ रही है यह

भूमि धनाराम व नन्दराम की सिलिंग सीमा से अधिक मानकर सरप्लस की गई थी जिसको बालिग पुत्रों की हैसियत से अपीलांट ने 1978 मे ही आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नोहर मे प्रस्तुत किया था तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा दिनांक 22.04.7993 को उक्त भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित कर दिया गया था जो आज भी प्रभावी है तथा उक्त पत्रावली मे अभी तक कोई भी निर्णय नही हुआ है। इसी दौरान जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत बिना अपीलांट को नोटिस दिये तथा बिना मौका व रिकार्ड की जांच किये तथा बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के उक्त अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि को नगरपालिका रावतसर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया।''

7. हस्तगत प्रकरण मे अधिवक्ता अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नोहर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा दिनांक 22.04.7993 को उक्त भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश के संबंध मे मात्र स्थगन आदेश दिनांक 22.04.93 की फोटोप्रति पेश की है उक्त स्थगन आदेश मे आगामी तारीख पेशी पर आगे कार्यवाही होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है जिससे यह साबित नही होता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2012 को प्रश्नगत भूमि विवादित थी या नही ? ना ही प्रस्तुत दस्तावेजो से स्थगन आदेश दिनांक 22.04.93 अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2012 तक अथवा आज प्रभावी होना साबित हो रहा है तथा ना ही अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 22.04.93 के बाद आगामी कार्यवाही होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। जबकि जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा प्रश्नगत को विवादित नही होना मानते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.6(9)रेव–6/96/पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 तथा उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.9(12)उप/06 जयपुर दिनांक 19.11.2012 की पालना मे तहसील रावतसर की भूमि जो वर्तमान नगरपालिका रावतसर के मास्टर प्लान मे स्थित है, को नगरपालिका के नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों मे जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2012 मे किसी प्रकार प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है क्योंकि जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना तथा उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना की पालना मे सिवायचक की भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज किये जाने के

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

आदेश पारित किये गये है। अपीलांट चाहे तो उक्त आदेश की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे हुये नामान्तरण के विरूद्ध अपील/कार्यवाही कर सकते है जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र रहेगें। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 21.11.2012 को यथावत रखा जाता है। अपीलांट चाहे तो उक्त आदेश दिनांक 21.11.2012 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे हुये नामान्तरण के विरूद्ध अपील/कार्यवाही कर सकते है जिसके वे स्वतंत्र रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official